खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0009 / 2017

राजस्थान राज्य जरिए श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

——अपीलार्थी

विरूद्व

1. दारा सिंह पुत्रश्री सीताराम जाट, मिल्क कलेक्शन सेन्टर ऑपरेटर, धुंधवाल मिल्क चिलिंग प्लांट, सरदारशहर रोड़, पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ निवासी गांव चिमनपुरा पोस्ट भूवाड़ी तह राजगढ जिला चूरू (राजस्थान)

——नमूना विक्रेता

2. गौरव रावत नोमेनी नेश्ले इण्डिया लिमि. लुधियाना फिरोजपुर मार्ग किंगवाह कैनाल के पास मौगा, पंजाब **——नोमेनी**
3. नेश्ले इण्डिया लिमि. लुधियाना फिरोजपुर मार्ग, किंगवाह कैनाल के पास मौगा पंजाब मुख्यालय एम–5ए कनाट सर्कस, नई दिल्ली द्वारा नोमेनी श्री गौरव रावत

——फर्म

उपस्थितः–

1. श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री शिवांगसु नवल अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

:: आदेश :: **दिनांक : 18.09.2018**

1. इस आदेश द्वारा इस बिन्दु का निर्धारण होगा कि क्या यह अपील विधि द्वारा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत हुई है।

2. यह अपील न्याय निर्णायक अधिकारी, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरूद्व स्वीकृत रूप से दिनांक 20.02.2017 को प्रस्तुत हुई है।

3. बहस के दौरान अपील के अवधि बाहर होने का एतराज प्रत्यर्थीगण के द्वारा लिया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (जिसे बाद में अधिनियम 2006 लिखा जायेगा) की धारा 70 के तहत इस अधिकरण में प्रस्तुत की जा सकती है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 के नियम 3.3.1 के अनुसार ऐसी

अपील न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेश जो अधिनियम 2006 की धारा 68 के तहत पारित किया गया है, अपीलकर्ता को न्याय निर्णायक अधिकारी के आलौच्य आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तुक के द्वारा अपीलीय अधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिकतम 30 दिन की अवधि को और अपील प्रस्तुत करने के लिए बढा सकता है, यदि उसके लिए पर्याप्त कारण बताया जाए कि विधि द्वारा प्रावधानित सामान्य अवधि 30 दिन में अपील क्यों नहीं प्रस्तुत की गईं?

4. योग्य राजकीय अधिवक्ता का तर्क रहा कि इस अपील अधिकरण का गठन नहीं हुआ था, इसलिए अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। योग्य अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण का तर्क रहा कि यदि अपील अधिकरण का गठन नहीं हुआ तो वैकल्पिक उपचार में समादेश याचिका प्रस्तुत की जा सकती थी।

5. इस अधिकरण का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकःएफ. 34(9)M&H/Gr.3/2012 जयपुर दिनांक 24 जुलाई, 2015 के द्वारा किया गया है तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 19.02.2016 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

6. यदि विधि के अन्तर्गत प्रावधानित अपील अधिकरण का गठन नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में समादेश याचिका प्रस्तुत की जा सकती थी परन्तु जैसा कि लिखा जा चुका है कि अपील अधिकरण का गठन हो चुका था, ऐसी स्थिति में परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 29 (2) के अनुसार परिसीमा की गणना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 के नियम 3.3.1 के प्रावधानों के अनुसार ही होगी तथा परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची में प्रावधानित की गई अवधि लागू नहीं होगी अर्थात् परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 04 से 24 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। जैसा कि एसएससी. (2015)16 सुप्रीम कोर्ट केसेज 20 न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम हिल्ली मल्टिपरपज कोल्ड स्टोरेज एवं (2000)8 सुप्रीम कोर्ट केसेज 470 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम पापूलर कंस्ट्रक्शन में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह अपील स्वीकृत रूप से अवधि बाहर है जिसे सुनवाई हेतु ग्रहण नहीं की जा सकती। अतः यह अपील इस प्रकार निस्तारित की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील अवधि बाहर होने से सुनवाई के लिए ग्रहण नहीं है।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.09.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर